372/DILRMP

E-mail

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./NLRMP/ F-126/2017/ 687 दिनांकः–23-04-18

जिला कलक्टर,
दौसा

विषय :– साईबर कैफे के माध्यम से जमाबन्दी की नकल जारी करने हेतु लाईसेंस बाबत्।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 2211 दिनांक 03.04.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया है कि जिले की तहसील बसवा को डिजीटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड मॉडर्ननाईजेशन कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26.03.2018 को अधिसूचित किया जा चुका है। अतः उक्त तहसील बसवा हेतु साईबर कैफे के लाईसेन्स नवीनीकरण एवं नवीन लाइसेन्स जारी किए जाने है अथवा नहीं किये जाने है, इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में मण्डल द्वारा जारी पत्रांक 14903–51 दिनांक 11.10.2012 से पूर्व में ही ऑनलाइन तहसीलों हेतु जिनमें डिजिटल हस्ताक्षरित जमाबन्दी जारी की जानी है उनके संबंध में निर्देशित किया गया है कि अपनाखाता केन्द्र, सीएससी/ई–मित्र के माध्यम से ही जमाबन्दी की प्रतिलिपि जारी होगी तथा साइबर कैफे को लाइसेन्स जारी नहीं किए जाऐगें। मण्डल से जारी पत्रांक 6315–45 दिनांक 01.05.2013 द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि जो तहसीले ऑनलाईन नहीं हुई है उन तहसीलों हेतु जब तक ऑनलाइन नहीं की जाती तब तक साइबर कैफे धारकों को लाइसेन्स जारी व नवीनीकरण किए जा सकते है।

मण्डल द्वारा पूर्व प्रदत्त निर्देशानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

निबंधक,
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर
दिनांक

प्रतिलिपि :क्रमांकः सम/

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, समस्त (दौसा को छोडकर) को ।
3. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

-sd-

प्रभारी अधिकारी (DILRMP)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर